सत्यमेव जयते	**भारतीय मानक ब्यूरो** **उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक** **वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग)भारत सरकार** **मानक भवन, 9 बहादुरशाह जफर मार्ग** **नई दिल्ली 110002**	मानकः पथप्रदर्शकः

विज्ञापन सं – 06(ScB)/2023/HRD

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय है जो कि भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है और देश में मानकीकरण, उत्पाद एवं पद्धति प्रमाणन, सोना/चांदी के आभूषणों की हॉलमार्किंग, प्रयोगशाला परीक्षण करने, इत्यादि के क्षेत्र में गतिविधियों हेतु उत्तरदायी है। बीआईएस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानकीकरण और प्रमाणन के लिए भी उत्तरदायी है।

बीआईएस विशिष्ट विषयों और वर्गों में वैज्ञानिक-'बी' के पदों के लिए प्रखर, गतिशील युवाओं को उत्कृष्ट करियर अवसर प्रदान करता है। ये पद सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतनस्तर 10 में हैं और इसके साथ इसमें भत्ते शामिल हैं। वर्तमान में नई दिल्ली में कार्यभार ग्रहण करते समय वेतन लगभग ₹1,05,022/- होगा। महत्त्वपूर्ण सेवा शर्तो के लिए अनुबंध-1 देखें।

1. **पदों की संख्या:** नीचे दिए गए विवरण के अनुसार विभिन्न शाखाओं में कुल रिक्तियों की संख्या **09** हैं:-

शाखा	**रिक्तियों की संख्या (बैकलॉग रिक्तियां सहित)**						**बेंचमार्क विकलांग व्यक्ति (बैकलॉग रिक्तियां सहित) के लिए क्षैतिज आरक्षण**
	कुल	अनारक्षित	अ. पि. वर्ग	अनु. जा.	अनु. ज. जाति	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	
कृषि विज्ञान	02	01	01	-	-	-	-
सिविल इंजीनियरिंग	03	01	01	01	-	-	01आईडी एंड एमआई/एमडी*
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग	03	01	01	-	-	01	01आईडी एंड एमआई/एमडी*
टेक्सटायल इंजीनियरिंग	01	-	01	-	-	-	-
कुल	**09**	**03**	**04**	**01**	**-**	**01**	**02**

*क्षैतिज आरक्षण आईडी एंड एमआई/एमडी श्रेणी के लिए निर्धारित किया गया है। हालांकि, आईडी और एमआई/एमडी श्रेणी में उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में, सीटों को विकलांगों की VI/HI श्रेणियों के बीच इंटरचेंज द्वारा भरा जाएगा।

संक्षिप्त रूप: अ .पि .वर्ग :*अन्य पिछड़ा वर्ग*; अनु.जा :*अनुसूचित जाति*; अनु .ज .जाति :*अनुसूचित जनजाति*; आईडी एंड एमआई - *ऑटिज्म/ मानसिक मंदता/ स्पेसिफिक लर्निंग डिसएबिलिटी/ मानसिक रोगी*; एमडी - *बहु निशाक्तता*; HI - *बधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास*; VI - *अंध और निम्न दृष्टि*

सभी प्रकार के आरक्षण के संबंध में अधिक जानकारी के लिए अनुबंध 2 देखें।